<u>प्रेस नोट दिनांक 12.11.2024</u>

<u>थाना भमोरा जनपद बरेली</u>

<u>थाना भमोरा #bareillypolice द्वारा घर में गढी माया को तंत्र मंत्र से निकालने का झांसा देकर ठगी करने वाले 02 अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 47500/- रुपये व 02 मोबाइल बरामद।</u>

दिनांक 10.11.2024 को श्री शान मोहम्मद पुत्र श्री अला बक्श नि0 ग्राम बल्लिया थाना भमोरा जिला बरेली द्वारा तहरीर बाबत अभियुक्त सादिक अली द्वारा वादी के घर में माया गढी होना बताकर माया को खोदकर निकालने के लिये वादी से 05 लाख रुपये की व्यवस्था करने, वादी द्वारा अभियुक्त सादिक अली के बहकावे में आकर पैसों की व्यवस्था कर देना तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में आकर उन रुपयों को एक मटके में रखवाकर वादी के घर में खुदाई शुरू कर देना तथा करीब 03 फीट गड्ढा हो जाने पर ईत्र चढाना बताकर एक शीशी हवा में छिड़कना जिससे वादी व वादी की पत्नी का बेहोश हो जाने तथा अभियुक्तगण द्वारा वादी का सारा रुपया लेकर फरार हो जाने, काफी समय बाद वादी को होश आने पर वादी द्वारा सादिक अली से सम्पर्क करने पर अभियुक्त सादिक द्वारा किसी से कुछ बताने पर बहुत बडी मुसीवत में आ जाने तथा जान से हाथ धोने की कहने के संबंध में सूचना दी गयी थी। जिसके आधार पर थाना भमोरा पर मु0अ0सं0 445/24 धारा 318(4)/123/305/351(3) बीएनएस बनाम 1.सादिक अली पुत्र जबर अली निवासी ग्राम उदयपुर जाफरा थाना देवरनियां जिला बरेली 2.नजाकत अली पुत्र बहादुर अली निवासी उदयपुर जाफरा थाना देवरनियां जिला बरेली 3.शेर खाँ पुत्र वली शेर निवासी आसपुर गौटिया थाना भोजीपुरा जिला बरेली पंजीकृत किया गया था।

थाना भमौरा पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 12.11.2024 को मु0अ0सं0 445/24 धारा 318(4)/123/305/351(3)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त 1.सादिक अली पुत्र जबर अली नि0 ग्राम उदयपुर जाफरा थाना देवरनिया जिला बरेली 2.शेर खाँ पुत्र वली शेर नि0 ग्राम आसपुर गौटिया थाना भोजीपुरा जिला बरेली को समय करीब 11.30 बजे आत्माराम इंटर कालेज बल्लिया से गिरफ्तार किया गया अभियुक्तगण के कब्जे से 47500 रुपये बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1.सादिक अली पुत्र जबर अली नि0 ग्राम उदयपुर जाफरा थाना देवरनिया जिला बरेली।
2.शेर खाँ पुत्र वली शेर नि0 ग्राम आसपुर गौटिया थाना भोजीपुरा जिला बरेली।

<u>आपराधिक इतिहास सादिक-</u>

मु0अ0सं0 445/24 धारा 318(4)/123/305/351(3) बीएनएस थाना भमोरा।
मु0अ0सं0 261/19 धारा 498A/323/504/506/313 भा0द0वि0 3/4 डीपी एक्ट थाना देवरनियां।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1. कुल 47500 रुपये
2. दो मोबाइल

<u>पुलिस टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री सतेन्द्र कुमार थाना भमोरा
2.उ0नि0 श्री नरेश कुमार शर्मा थाना भमोरा
3.का0 3754 विक्रमचन्द थाना भमोरा
4.का0 114 अनिल कुमार थाना भमोरा बरेली